9-11-22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। अप्रार्थी सं० 12 को जारी रजि० तलबी की डिलीवरी रिपोर्ट पेश। तलबी पर्याप्त मानी गई। पत्रावली वास्ते बहस के दिनांक 14-11-22 को पेश हो।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

14-11-22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रा० प० मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं मे विचाराधीन दावा सं० 86/2017 उनवानी पन्नालाल वगैरह बनाम मुकन्दाराम मे पत्रावली से मेरा जवाब ही गायब कर दिया है। पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं उस पद पर बैठते हमे उनसे न्यायालय की उम्मीद नही है। उन्होंने माननीय न्यायालय मे प्रा० प० मुकदमा स्था० विचाराधीन रहते उक्त दावे का निर्णय कर दिया है जो उचित नही है। अतः श्री शैलेष सैवदा, उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि आपके उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा दावा [illegible] निर्णय पारित कर दिया है। प्रार्थी अब केवल अपील कर सकते है। प्रार्थी का यह प्रा० प० मुकदमा स्थानान्तरण सारहीन हो चुका है जो खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस पक्षकारान एवं पत्रावली मे मौजूदा तथ्यों पर बगौर मनन किया। चूंकि उपखण्ड [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 16:09:46 IST
Reason: SelfAttested

पारित कर दिया गया है जिसके कारण यह प्रा०प० सारहीन हो चुका है। अतः यह प्रा०प० मुकदमा स्थानान्तरण सारहीन हो चुका है। सारहीन होने से यह प्रा०प० खारिज किया जाता है। साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं से अलग से निर्णय की प्रति व किन परिस्थितियों में यह निर्णय पारित किया गया है के क्रम में रिपोर्ट तलब की जावे। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एल० एस० कुरी)
जिला कलेक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 15:09:46 IST
Reason: SelfAttested